

फा.सं.16012/30/2008 - स्था. (भत्ता)

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, 8th अप्रैल, 2009


कार्यालय जापन

विषय : जी.एफ.आर.-2005 में निहित प्रावधानों के अनुसार परामर्शदाताओं को काम पर लगाना ।

अधोहस्ताक्षरी को परामर्शदाताओं को काम पर लगाने की योजना के विभिन्न पहलुओं को विनियमित करने से संबंधित इस विभाग की दिनांक 21.12.93 के कार्यालय जापन संख्या 16012/6/93-स्था.(भत्ता), दिनांक 13.2.1998 के कार्यालय जापन स. 16012/7/97-स्था.(भत्ता), तथा दिनांक 16.3.2006 के कार्यालय जापन से. 16012/12/2005-स्था.(भत्ता) का संदर्भ लेने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि परामर्शदाताओं को काम पर लगाने के सभी मामलों में एकरूपता लाने की दृष्टि से उपर्युक्त अनुदेश वापस लिए जाते हैं तथा इस संबंध में जी.एफ.आर., 2005 में यथानिहित प्रावधान लागू होंगे ।

2. यह वित्त मंत्रालय की सहमति से जारी किया जाता है ।

3. ये आदेश जारी किए जाने की तिथि से लागू होंगे ।


(सिम्मी आर. नाकरा
निदेशक

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभा
(मानक सूची के अनुसार)

सं.16012/30/2008-स्था.(भत्ता), दिनांक ४th अप्रैल, 2009

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय/महालेखाकार, वित्त मंत्रालय ।
2. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/लोकसभा सचिवालय/राज्यसभा सचिवालय/मंत्रिमण्डल सचिवालय/उप-राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग/केन्द्रीय सूचना आयोग ।
3. सभी राज्य सरकारें तथा संघ शासित क्षेत्र ।
4. सभी राज्यों के राज्यपाल/संघ शासित क्षेत्रों के लेफ्टिनेंट गवर्नर ।
5. सचिव, नेशनल कौंसिल (कर्मचारी पक्ष) 13 सी. फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली ।
6. जे.सी.की नेशनल कौंसिल/विभागीय कौंसिल के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य ।
7. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग ।
8. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (ई-IV) ब्रांच
9. राजभाषा स्कंध (विधायी विभाग), भगवान दास रोड, नई दिल्ली ।
10. रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली ।
11. वेबसाइट www.persmin.nic.in>Allowance पर डालने के लिए एन.आई.सी., कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ।
12. 200 अतिरिक्त प्रतियां

सिम्मी आर. नाकरा
(सिम्मी आर. नाकरा)
निदेशक